राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3001/2025

प्रकाश चंद मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.06.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार अध्यापक के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन से पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में पदस्थापित था। जहां से अपीलार्थी का 6 डी में चयन किया जाकर सेट अप परिवर्तन कर आदेश दिनांक 9–6–2018 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन कर दिया। अपीलार्थी ने उक्त आदेशों की पालना में कार्यग्रहण कर लिया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी का जिस स्थान पर 6 डी के तहत पदस्थापन किया गया था वह अपीलार्थी के गृह निवास से करीब 70 कि०मी० दर है जबकि 6 डी के समय पदों को छिपा लिया गया। पूर्व पारदर्शिता नहीं बरती गई। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन पर पदस्थापित हुए 7 वर्ष हो गये है। अपीलार्थी का दिनांक 18–12–2024 को विद्यालय से आते समय एक्सीडेन्ट हो गया। जिससे एक पैर की हडडी टूट गई अपीलार्थी का एसएमएस होस्पीटल जयपुर में ईलाज चल रहा है। अपीलार्थी की विद्यालय जाते समय काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 9–1–2025 को एक अभ्यावेदन दिया जिसमें अंकित किया कि अपीलार्थी का एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण वर्तमान में राजकीय उच्च मा० विद्यालय मेरिया खेडी पंचायत समिति धमोतर में पद रिक्त है या राजकीय उच्च मा०वि० कुलमीपुरा पंचायत समिति धमोतर जिला प्रतापगढ या राजकीय उच्च मा० विद्यालय देवपुरा पंचायत समिति घमोतर जिला प्रतापगढ़ या राजकीय उच्च मा० विद्यालय देवपुरा पंचायत समिति धमोतर जिला प्रतापगढ में पद रिक्त है

परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। (अनुलग्नक–2) माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सिविल अपील संख्या 12143/2022 डा० एस० के० नोशाद रहमान बनाम भारत संघके निर्णय पेरा संख्या 51 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य की नीति में कार्मिक की पारिवारिक सुरक्षा को गरिमा का अभिन्न अंग मानकर उस पर विचार किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 09.01.2025 का निस्तारण किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 09.01.2025 जो प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के पास निस्तारण हेतु लम्बित है। प्रत्यर्थीगण के सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त लम्बित आशय का अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य